न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—121 / 2022 (2022 / 285) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. सुरेश पिता डालचंद कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. नारायण पिता धन्ना कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. दिनेश पिता धन्ना कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बद्रीलाल पिता डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. अम्बालाल पिता सोहन कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. किशन पिता लेहरू कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. छोगा पिता गोमा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. प्रभु पिता सोहन कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भैरू पिता मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. लाडु पिता मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. सोहन पिता नाथु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. रोकेश पिता नारायण हरिजन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. रामेश्वर पिता नारायण हरिजन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 05.01.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कृषि आराजियात खाता संख्या 141 में अंकित आराजी संख्या 1854 / 1379 रकबा 0.80 है0, भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थी ने दिनांक 06.07.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 27.07.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे

विपक्षी संख्या 1 लगायत 3, 7, 9 लगायत 12 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया विपक्षी संख्या 4, 5, 6, 8 के अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही करने जवाब बन्द किया गया। प्रार्थी खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कृषि आराजियात खाता संख्या 141 में अंकित आराजी संख्या 1854 / 1379 रकबा 0.80 है0, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू—अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200 / —रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500 / —रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)